

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

६। ७४/३।

संख्या—पर्यो०/वन—०४/२००४

/प०व० पटना—१५, दिनांक—२१/१२/२००९

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अध्याय—६ की धारा—२२(१) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा—२२ (४) (क), २२ (४) (ख) एवं २२ (४) (ग) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा “बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद” का गठन निम्नवत् किया जाता है :—

(1)	श्री बी००० खान, भा०व०स०० अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार	अध्यक्ष
(2.i)	कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
(ii)	प्रधान सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
(iv)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
(v)	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
(3.i)	प्रो० अशोक कुमार झा, सम्प्रति अररिया महाविद्यालय में भौतिकी विभागाध्यक्ष	विशेषज्ञ
(ii)	डॉ० दिलीप कुमार दास, कृषि विज्ञान केन्द्र, खगड़िया	विशेषज्ञ

2. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद का गठन जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत प्रदत्त कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन एवं शक्तियों के उपयोग हेतु किया जा रहा है।

3. राज्य सरकार जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने एवं अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के लिए अधिनियम की धारा—६३ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नियम बनाएगी, जिसके आलोक में अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।

कृ०प०उ०

262

4. राज्य जैव विविधता पर्षद का मुख्यालय "पटना" में होगा।
 5. यह अधिसूचना तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
हो/-

(देव नन्दन यादव)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—पर्यां०/वन—०४/२००४

५९७/६८

/प०व० पटना—१५, दिनांक—१२/२००९

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ सी०डी० एवं हॉडकॉपी के साथ प्रेषित।
 2. उनसे अनुरोध है कि उसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को आपूर्ति करने की कृपा की जाय।

हो/-

(देव नन्दन यादव)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—पर्यां०/वन—०४/२००४

५९७/६८

/प०व० पटना—१५, दिनांक—१२/२००९

प्रतिलिपि :— सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी०जी०ओ० कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 475, 9वाँ दक्षिणी क्रॉस स्ट्रीट, कपिलेश्वर नगर, नीलांकराई, चेन्नई—600 041, तमिलनाडू को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(देव नन्दन यादव)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—पर्यां०/वन—०४/२००४

५९७/६८

/प०व० पटना—१५, दिनांक—१२/२००९

प्रतिलिपि :— मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री एवं राज्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(देव नन्दन यादव)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—पर्यां०/वन—०४/२००४

५९७/६८

/प०व० पटना—१५, दिनांक—१२/२००९

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/श्री बी० ए० खान, भा०व०से०, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/मुजफ्फरपुर/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी सदस्यों/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(देव नन्दन यादव)

सरकार के उप सचिव